जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति | दिनांक 03.08.2022

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत हुई मोबाइल लूट की घटना का किया सफल अनावरण , घटना में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.07.2022 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री मौहम्मद सुल्तान पुत्र मंजूर निवासी एम- 676 शकुरपुर दिल्ली से अज्ञात बदमाशों द्वारा झिंझाना नहर पुल के पास से एक मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल लूट कर ले जाने की घटना कारित की गई थी। घटना के संबंध पीडित द्वारा थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु 0अ0सं0 301/2022 धारा 394 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना कर क्षेत्राधिकारी नगर , प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली तथा एसओजी शामली , सर्विलांस टीम को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस व टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु साक्ष्य संकलन एकत्रित करते हुए लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम मे आज दिनांक 03.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा सूचना पर झिंझाना नहर पुल के पास मोबाइल , मोटरसाइकिल लूट की घटना में लिप्त 02 अभियुक्त को लूट का 01 मोबाइल, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त कुनाल द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि दिनांकः 10.07.2022 को ईद की रात में 9 बजे करीब मै , परम सागर और सोनू शर्मा के साथ विजय चौक पर पार्टी कर रहे थे , तभी सागर ने कहा कि चलो आज ही मोटरसाईकिल और मोबाइल का इंतजाम करते हैं और ये चारो मोटरसाईकिल पर सवार होकर झिंझाना नहर पुल की तरफ चल दिये रास्ते में सोनू बीयर का इन्तजाम करने उतर गया कि थोडा आगे चलकर झिंझाना पुल से पहले सडक के दूसरी साईड में एक मोटरसाईकिल के पास दो लडके खडे थे , जिनमें एक लडका मोबाइल पर बात कर रहा था तभी हम तीनो ने उनके पास पहुंचकर उनसे मोबाइल और मोटरसाईकिल मारपीट करके छीन ली और पुल की तरफ नहर के रास्ते से भाग गये। सोनू बाद में इनसें कैराना नहर पुल पर मिला था। आज सोनू इनसे मोटरसाईकिल लेने आने वाला था। ये दोनो सोनू और सागर का इंतजार कर रहे थे तभी इन्हे पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.कुनाल शर्मा उर्फ अभिषेक पुत्र मुकेश शर्मा निवासी दयानन्दनगर थाना कोतवाली जनपद शामली।
हाल पतानिवासी ग्राम रसूलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली।

2.परम कुमार उर्फ आकाश पुत्र प्रवीन कालखण्डे निवासी दयानन्दनगर थाना कोतवाली जनपद शामली।
हाल पता- निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी हुई चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर (संबंधित मु 0अ0सं0 301/2022 धारा 394, 411 भादवि थाना कोतवाली शामली)

2.लूटा हुआ 01 मोबाइल रियलमी कम्पनी।

3.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

4.अवैध चाकू।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार , कब्जे से चोरी के 11 मोबाईल फोन बरामद ।

आज दिनांक 03.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक झिंझाना श्री पंकज त्यागी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर चौकी प्रभारी श्री समयपाल सिह अत्री थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा मय फोर्स के अभियुक्तगण 1.जाबिर कुरैशी पुत्र जमील कुरैशी 2.अहसान कुरैशी पुत्र इशाक कुरैशी निवासीगण ग्राम कुण्डा कला(बड़ा कुण्डा) थाना गंगोह जिला सहारनपुर को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध मे थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 02.08.2022 को वादी श्री इस्तकार पुत्र श्री इ्यासूदीन निवासी ग्राम भडी भरतपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर अज्ञात चोरो द्वारा उसके 07 मोबाईल फोन चोरी करने व दिनांक 03.08.2022 को वादी श्री महताब पुत्र जमशेद निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के अज्ञात चोरो द्वारा 04 मोबाईल फोन चोरी करने के संबंध मे लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौराने इन्होने इन घटनाओ के अलावा अन्य अज्ञात भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानो पर की गयी चोरी की घटनाओ का भी इकबाल किया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है इनकी गिरप्तारी से क्षेत्र में चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगेगा और जनता को राहत महसूस होगी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाबिरः-

1.मु0अ0स0 354/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 355/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अहसानः-

1.मु0अ0स0 354/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 355/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जाबिर कुरैशी पुत्र जमील कुरैशी निवासी ग्राम कुण्डा कला (बड़ा कुण्डा) थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2.अहसान कुरैशी पुत्र इसाक कुरैशी निवासी ग्राम कुण्डा कला (बड़ा कुण्डा) थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

मु0अ0स0-354/2022 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित बरामदगी।

1.एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी।

2.एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का रंग काला।

3.एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का ।

4.एक मोबाईल फोन एमआई कम्पनी का रंग काला।

5.एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का।

6.एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का।

7.एक मोबाईल फोन ओप्पो कम्पनी का।

मु0अ0स0-355/2022 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित बरामदगी।

1.एक मोबाईल फोन सैमसंग रंग नीला।

2.एक मोबाईल फोन रीयल मी कम्पनी का।

3.एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी का।

4.एक मोबाईल फोन जियो कम्पनी का रंग काला।

सर्विलांस सेल जनपद शामली द्वारा करीब 02 लाख रूपये मूल्य के 15 मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को किये सुपुर्दः-

पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा जन-शिकायत/सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन खोने/चोरी होने की शिकायतों का संकलन कराया गया। जनपद शामली में आमजनों के मोबाइल फोन खोने/चोरी सम्बंधी दर्ज सूचनाओं का पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सर्विलांस सेल के माध्यम से एकत्रिकरण कराया गया। जिससे कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऐसी शिकायते लेकर पहुंचने वाले फरियादी की शिकायत को सुलझाया जा सके ओर पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास ओर अधिक प्रगाढ़ हो। इस क्रम में सर्विलांस सेल को पुलिस अधीक्षक द्वारा बरामद कराये जाने का दायित्व सौपा गया। प्रभारी सर्विलांस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जिनके द्वारा लगातार अथक प्रयास कर ऐसे 15 कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। बरामद किये गये मोबाइल फोन का मूल्य करीब 02 लाख रूपये का है। इन मोबाइल फोन के सम्बन्ध में सर्विलांस टीम द्वारा इनके खोने/चोरी होने के सम्बन्ध में जानकारी जुटायी जा रही है। पुलिस कार्यालय शामली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऐसे सभी मोबाइल फोन के स्वामियों को सविलांस टीम द्वारा बुलाया गया जहां पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उनको उनके फोन सुपुर्द किये गये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सर्विलांस टीम को उत्सहावर्धन हेतु नगद पुरूस्कार 15,000 रूपये से पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कहा गया कि अपनी टीम के माध्यम से अन्य मोबाईलो की जल्दी बरामदगी होगी ओर मोबाइल फोन के स्वामियों को बुलाकर इसी प्रकार के कार्यक्रम में सुपुर्द किया जायेगा।

जनपद शामली की मॉनिटरिंग सेल/थाना बाबरी ,गढीपुख्ता/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अवैध हथियार के अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. अवगत कराना है कि वर्ष 1997 में अभियुक्त सुनील पुत्र ओमकार निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्व मु0अ0सं0 28/1997 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे थाना बाबरी पर अवैध हथियार के मामले मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त सुनील को धारा 4/25 भादवि में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. वर्ष 2003 को कल्लन पुत्र जुम्मा धोबी निवासी गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 101/2003 धारा 294 भादवि में थाना बाबरी पर मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसमें अभियुक्त कल्लन उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

3. वर्ष 2003 को कल्लन पुत्र जुम्मा धोबी निवासी गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 102/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में थाना बाबरी पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त कल्लन उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

4. वर्ष 1993 को मौहम्मद अली पुत्र फरजन निवासी ग्राम ताडा थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध मु0अ0सं0 79/1993 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना बाबरी पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त मौहम्मद अली उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

5. वर्ष 2016 को रवि उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम मालेण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 47/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना गढीपुख्ता पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

6. वर्ष 2017 को राहुल पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम चूनसा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 278/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट में थाना बाबरी पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त राहुल उपरोक्त को 03 वर्ष के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय में उक्त मामलों का विचारण किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मॉनीटरिंग सेल को साक्ष्य एवं साक्षियों को समय से उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना बाबरी, गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।